न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा

ीन अधिकारी का नाम – श्रीमती बिन्दु बाला राजावत (R.A.S)
ण संख्या – 109/2023 रे. वाद
र दिनांक – 28.08.2023
य दिनांक – 30.10.2025

अनवान

नारायणलाल पुत्र कनीराम जाति गाड़री निवासी–चम्पाखेडी, तहसील–रेलमगरा जिला राजसमंद
अमरीबाई पत्नि स्वर्गीय कासीराम जाति गाड़री निवासी–चम्पाखेड़ी, तहसील–रेलमगरा जिला राजसमंद
रतनलाल पुत्र नारायणलाल जाति गाड़री नाबालिग जरिये वादमित्र संरक्षक पिता नारायणलाल गाड़री निवासी–चम्पाखेडी, तहसील–रेलमगरा जिला राजसमंद

...............वादीगण

बनाम

भैरूलाल पुत्र वेणीराम जाति गाड़री निवासी–चम्पाखेड़ी, तहसील–रेलमगरा जिला राजसमंद
अणछीबाई पत्नि स्वर्गीय वेणीराम जाति गाड़री निवासी–चम्पाखेड़ी, तहसील–रेलमगरा जिला राजसमंद
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रेलमगरा जिला राजसमंद

................प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955</u>

उपस्थित
वादी की ओर से अधिवक्ता – श्री रोशनलाल साहु अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– श्री प्रकाशचन्द्र खटीक अधिवक्ता

: आदेश :

वादी ने वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चाम्पाखेड़ी पटवार हल्का पछमता तहसील रेलमगरा मे स्थित खाता संख्या 144 के आराजी संख्या 129, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 272, 273, 274 कुल खसरे 11 कुल रकबा 1.6916 है0 भूमि स्थित है। ग्राम चाम्पाखेड़ी पटवार हल्का पछमता तहसील रेलमगरा में खाता संख्या 143 में आराजी चाह संख्या 139 रकबा 0.0567 है0 किस्म आ0चाह स्थित है। जो आराजी चाह भी वादीगण व प्रतिवादीगण के सहस्वामित्व आधिपत्य की मौजूद है। जिसमें वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता किसना उर्फ कनीराम पुत्र सोला का 1/6 एवं 1/32 वां हिस्सा मौजुद होकर वादी संख्या 02 अमरीबाई का 1/12वां हिस्सा एवं वादी संख्या 03 रतनलाल का भी 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 भैरूलाल का 1/12वां हिस्सा मौजुद है जिसमें वादी संख्या 01 नारायणलाल के पिता कनीराम उर्फ किशना पुत्र सोला की मृत्यु दिनांक 24.11.2022 को हो जाने से उनके विधिक वारिस के रूप में उनका एक मात्र पुत्र वादी नारायणलाल ही मौजुद होने से उक्त आराजी संख्या 139 में अंकित किशना पुत्र सोला का 1/6 हिस्सा एवं 1/32 वां हिस्सा किशना पुत्र सोला के वजाय विरासत के आधार पर उक्त दोनो ही हिस्से वादी संख्या 01 अपने नाम पर घोषित कराने का अधिकारी है इस हेतु यह उक्त वादपत्र घोषणात्मक डिकी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त में अंकित खाता संख्या 144 की भूमियों में राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 01 के पिता किशना का 4/11 हिस्सा अंकित है जो हिस्सा भी किशना की मृत्यु हो जाने से वादी

...न पर घोषित कराने का अधिकारी है तथा उक्त भूमियों मे वादी संख्या 2 अमरीबाई का
...हिस्सा एवं वादी संख्या 03 रतनालाल का भी 3/22 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होकर
...संख्या 01 का 2/11 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भी 2/11 हिस्सा राजस्व
...मे अंकित है जो सहखातेदारी अधिकारी की भूमियां होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण
...01 व 02 उक्त भूमियो का उपयोग–उपभोग हिस्सेनुसार एवं आपसी सुविधानुसार करते
...आ रहे है किन्तु अब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने से भूमियों के विकास एवं
...आदि जमा कराने की सुविधा की दृष्टि से तथा भूमियों के सम्परिवर्तन हेतु उक्त वर्णित
...भूमियो का विधिवत रुप से हिस्सेनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन
...ना चाहते है तथा विभाजन पश्चात् किसी भी पक्षकार के हिस्से में कोई भी पक्षकार किसी
...की कोई बाधा हस्तक्षेप या दखलन्दाजी कारित नहीं करे एवं न ही अन्य किसी से करावें
हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराने का अधिकारी है।
...ग्रस्त भूमियों का उपयोग–उपभोग अब तक आपसी सुविधानुसार सभी हिस्सेदारान करते चले
...रहे है किन्तु अब प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये एवं बिना सनपरिवर्तन कराये अपनी ईच्छा
...बिक वादग्रस्त भूमियों में अवैध रुप से आवास निर्माण कार्य करवाने पर उतारु हुए एवं
...दीगण को अपने हक, अधिकार की भूमियों से वंचित करने की धमकियां देने लगे जिस पर
...दी की ओर से श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को कृषि भूमियों में अकृषि कार्य बाबत् शिकायत
...वेदन भी पेश किया फिर भी आज से 10 दिन पूर्व प्रतिवादीगण नहीं माने तथा मौके पर
...र्माण कार्य अविभाजित संयुक्त स्वामित्व की भूमियों में करने पर आमादा हुए एवं वादीगण को
...पने हिस्से से बेदखल की धमकिया देते हुए विभाजन कराने से भी प्रतिवादीगण ने इंकार कर
...दिया जिस से वाद हेतुक 10 दिन से पूर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। उक्त वादपत्र की
कलम संख्या 01 में वर्णित हिस्सेनुसार घोषणान्तमक डिक्री जारी फरमायी जावें। उक्त वर्णित
हिस्से मुताबिक भूमियों का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन
फरमाया जावें तथ उक्त अनुसार विभाजन की प्राभमिक एवं अंतिम डिक्री जारी फरमायी जावें।
वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी
संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र खटीक उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 03
पैरोकार राज उपस्थित। दिनांक 30.05.2025 को पत्रावली आदेशिका पर सहमति जाहिर करते
हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति दी। जिस पर विभाजन की
प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी पालना मे तहसीलदार राजसमंद ने अपने पत्र क्रमांक भू.
अ./डिकी पालना/2025/895 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा विभाजन योजना मय फहरिस्त एवं
नक्सा ट्रेस प्रेपित की गई। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर प्राप्त विभाजन
योजना को स्वीकार फरमाई जाकर अन्तिम डिक्री जारी किए जाने की ईस्तदुआ की गई। हमने
पत्रावली व प्राप्त विभाजन योजना का निरीक्षण किया। प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार किया
जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है, अतः तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत
की गई विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम
चाम्पाखेड़ी पटवार हल्का पछमता तहसील रेलमगरा मे स्थित खाता संख्या 144 के आराजी
संख्या 129, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 272, 273, 274 कुल खसरे 11 कुल रकबा 1.6916 है0 भूमि का विभाजन, विभाजन योजना के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

...क्टर एवं उपखण्ड ... रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
भैरूलाल पुत्र वेणीराम 1/2 अमरीबाई पत्नि स्व. वेणीराम 1/2 गाडरी सा.देह खातेदार	129 274/1 133/1 134/1 137 273/1	0.1538 0.0853 0.1012 0.0578 0.2023 0.0059	4.28 2.90 2.80 1.60 5.62 +
योग	किता 06	0.6063	17.20
अणछीबाई पत्नि स्व. वेणीराम 2/11 अमरीबाई पत्नि स्व. काशीराम 3/22 नारायण पुत्र कणीराम 4/11 भैरूलाल पुत्र वेणीराम 2/11 रतनलाल पुत्र नारायण 3/22 गाडरी सा.देह खातेदार	272	0.0243	+
योग	किता 01	0.0243	+
3 अमरीबाई पत्नि स्व.वेणीराम 3/14 नारायणलाल पुत्र कनीराम 8/14 रतनलाल पुत्र नारायण 3/14 गाडरी सा.देह खातेदार	130 131 274/2 133/2 134/2 136 138 273/2	0.1538 0.1538 0.1494 0.1821 0.1931 0.0243 0.1942 0.0103	4.28 4.28 5.08 2.66 3.69 0.68 5.40 +
योग	किता 08	1.0610	26.07

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

बिन्दू बाला राजावत (RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रेलमगरा

तहसीलदार रेलमगरा को निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक–पृथक अंकन किये जाने हेतु विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है की उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

टर एवं उपखण्ड ... रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा